न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्0 II/वि0/मुरैना/भू0रा0/2018/1624

श्री ..... द्वारा आज दि0 7/3/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16/3/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

दिनेश पुत्र पूरनगिरि जाति गुसाई निवासी जौरा खुर्द तह0 व जिला मुरैना

.........................आवेदक

बनाम

1—श्रीमती सुब्रता त्रपाठी तहसीलदार महोदय जौरा तहसील जौरा जिला मुरैना

2—म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर महो0 मुरैना

..........असल/अनावेदक

3—राधेश्याम पुत्र रामसिंह जाति राठौर निवासी मुंशी का बाडा दत्तपुरा मुरैना

4—श्रामजीलाल पुत्र रामलाल जाति खटीक निवासी गोपाल पुरा मुरैना

5—शैलेन्द्र गौड पुत्र ल्होरेराम गौड निवासी जौरा तहसील जौरा जिला मुरैना

6—राकेश सिंह पुत्र जयसिंह गुर्जर निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना

7—श्रीमती मीरादेवी पत्नी बृजमोहन वैश्य

8—श्रीमती सुमनि देवी पत्नी विजयकुमार

9—श्रीमती सुमन गोयल पत्नी सुरेशचन्द

सभी निवासीगण कस्वा जौरा तहसील जौरा जिला मुरैना

10—रामस्वरूप पुत्र लालपति कारी निवासी अलापुर तहसील जौरा जिला मुरैना

..................तरतीवी/अनावेदक

ग्वालियर ... 8 ... 7/3/18

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 12(*) न्यायालय अवमान अधिनियम 1971

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि विवादित शासकीय भूमि का पट्टा अनावेदक कमांक 10 को तहसील दार महोदय जौरा द्वारा सन् 1983 में प्रदान किया गया था। तत्पश्चात अनावेदक क0 10 रामस्वरूप को भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किये गये।

2– यह कि विवादित भूमि को रामस्वरूप द्वारा अनावेदक क0 6 लगायत 9 को रजि0 विकय पत्र द्वारा विकय कर दी। अनावेदक क0 6 लगायत 9 का नामान्तरण होकर पटवारी कागजात में अमल किया गया उसके बाद विवादित भूमि को अनावेदक क0 6 लगायत 9 द्वारा आवेदक व अनावेदक क0 3 लगातय 5 को रजि0 विकय पत्र द्वारा विकय कर दिया। विकय पत्र के आधार पर आवेदक व अनावेदक क0 3 लगायत 5 का नामान्तरण किया जाकर पटवारी कागजात में अमल किया गया। तभी से काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे है।

3– यह कि कलेक्टर महोदय मुरैना द्वारा तहसीलदार महोदय जौरा के प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर धारा 165(ख) का उलंघन मान्य कर विवादित भूमि को शासकीय घोषित करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश का अमल पटवारी कागजात व कम्पयूटर में करा दिया गया।

4– यह कि आवेदक व अनावेदक क0 3 लगायत 5 द्वारा श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो निरस्त कर दी गई।

5– यह कि आवेदक व अनावेदक क0 3 लगायत 5 द्वारा श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के आदेश के विरूद्व मान्यनीय राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्र0क0 R 1862–I/2011 द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/07/2015 द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना व कलेक्टर महोदय मुरैना का आदेश निरस्त किये जाकर तहसीलदार महोदय जौरा को राजस्व अभिलेख पूर्ववत संसोधित किये जाने के निर्देश दिये गये।

6– यह कि आवेदक द्वारा तहसीलदार महोदय जौरा को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की राजस्व मण्डल के आदेश के पालन में विवादित भूमि पर आवेदक का पटवारी कागजात में अमल कराया जार्ये। तहसीलदार महोदय जौरा द्वारा मान्यनीय न्यायालय के आदेश का पालन आवेदक द्वारा कई बार प्रार्थना करने पर भी आज दिनांक तक नहीं किया जा रहा है और तहसीलदार महोदय द्वारा

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध / मुरैना / भू0रा0 / 2018 / 1624

दिनेश विरूद्ध श्रीमती सुब्रता त्रिपाठी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-8-2019	आवेदक अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक द्वारा यह विविध आवेदन धारा 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। आवेदक अभिभाषक के तर्क में बताया कि इस न्यायालय के पूर्वाधिकारी के आदेश 08-7-2015 के आदेश का पालन हो जाने से अब इस प्रकरण संचालित रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। फलस्वरूय यह विविध प्रकरण समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे0के0 जैन) सदस्य	